संख्या-196/2016/5398/26-3-2016-10(27)99 टी.सी.

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
छत्रपति शाहू जी महाराज,
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 02 नवम्बर ,2016

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत मानक मद-17 में स्वीकृत धनराशि में से गृह कर बिल के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-376/भा0भ0/2016-17, दिनांक 27.10.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मानक मद संख्या-17-किराया शुल्क और कर स्वामित्व के मद में से नगर निगम का गृह कर बिल रू0-9.34705 लाख के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-93/2016/1243/26-3-2016-10(27)/1999 टी.सी. दिनांक-27.04.2016 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत मानक मद संख्या-17-किराया, उपशुल्क व कर स्वामित्व मद में स्वीकृत धनराशि रू0-10.00 लाख स्वीकृत कर निदेशक, छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखी गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि रू0-10.00 लाख में से नगर निगम का गृह कर बिल के भुगतान हेतु रू0-9.34705 लाख की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in